YCMS - 2022/29

APP-A
Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ज़िला कलेक्टर मुकाम टोंक

भवरलाल बनाम NT - सोप

किस्म मुकदमा पुनरावलोकन प्रा.पत्र नं. 84 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/2/2022	अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित है। प्रकरण समाअत अदालत है। दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 97 रूल–1 सीपीसी बाबत पुनर्वालोकन धारा 86 राज0 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट अपील सं0 15/2020 उनवान भवरलाल बनाम नायब तहसीलदार सोप निर्णय दिनांक 22–9–2021 का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1386,1387,1402 कुल रकबा 2.60 है0,वाके ग्राम रोहित तह0 उनियारा में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर उड़द,की फसल काश्त करने का दोषी मानते हुए भूमि से बेदखल करने 507/रूपये की पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश नायब तहसीलदार सोप द्वारा दिया गया दिया था। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत किये जाने पर पक्षकारान को सुना जाकर अपील अपीलान्ट दिनांक 22–9–2021 को खारिज की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट में प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि श्रीमान का ध्यान प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र तथा अन्डर टेकिंग पर आकंर्षित होने से रह गया है जबकि धारा 91 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत पारित सिविल कारावास से दण्डित करने का निर्णय इस आधार पर सशर्त सेट ए साईड किया जाना चाहिये। हमने प्रार्थना पत्र व प्रकरण संख्या 15/2020 की पत्रावली का अवलोकन किया अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1386,1387,1402 कुल रकबा 2.60 है0 पर कब्जा किया है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त विवादित भूमि पर अतिक्रमण कर फसल काश्त की थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 1384/2019 से बेदखल किया गया था। अपीलान्ट भूमि पर से कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एंव बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है तथा बहुत बड़े रकबे पर अतिक्रमण किया हुआ है, कब्जा छोड़ने का शपथ पत्र पेश किया गया था उसमें खसरा नम्बर अंकित नहीं किया गया है कि किस खसरा नम्बर का कब्जा छोड़ा गया है ऐसी स्थिति में दिनांक 22–9–2021 को पारित निर्णय में कोई नया आदेश पारित करना उचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 47 रूल–1 सीपीसी बाबत पुनर्वालोकन धारा 86 राज0 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो। जिला कलेक्टर टोंक	

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:04:21 IST
Reason: SelfAttested